न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/99/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/220

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री पवन कुमार कौशिक,
निवासी–प्लॉट सं. 7, युगल विहार कॉलोनी, राधा पब्लिक स्कूल के सामने, पोस्ट–गोवर्धन, जिला–मथुरा, उत्तर प्रदेश–281502

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रवेश तिथि :: 28.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 14.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 04.10.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 874 (गैर मुमकिन आबादी) ग्राम–किशनपुरा, ग्राम पंचायत बख्तपुरा, पं.स. उमरैण में संचालित होटल रामविहारी पैलेस को नलकूल/बोरबेल/भूजल दोहन हेतु जारी NOC, Permission संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को आवेदन दिनांक: 04.10.2021 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 13.12.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही ई–मेलके जरिये भी जवाब–नोटिस प्रेषण हेतु सूचित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक: सू.अ.अ. /2022/2797 दिनांक: 10.01.2022 के माध्यम से अपील के अनुक्रम में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी द्वारा अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 04.10.2021 पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील के उपरान्त अपीलार्थी को सूचित किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिए जाने के कारण अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्राप्त आवेदन/विविध प्रा.पत्रों पर अतित्वरित विनिश्चय किया जाकर आवेदकों को सूचित किया जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

(हस्ताक्षर)

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)